राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राज0, जयपुर

क्रमांक एफ.18(आई–61)आईडब्ल्युएमपी/निजभूसं/10–11/1370-1480 दिनांक 5-1-12

कार्यालय–आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 1077–1311 दिनांक 23.7.2010 के माध्यम से आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत परियोजना क्रियान्वयन ऐजेन्सी सहायक अभियन्ता, जलग्रहण विकास पंचायत समिति को प्रत्येक परियोजना हेतु एक बचत बैंक खाता खोलने की स्वीकृति जारी की गई थी एवं इन बचत बैंक खातों में आवश्यकतानुसार राशि एस.एल.एन.ए/जिला जलग्रहण विकास इकाई द्वारा स्थानान्तरित करने एवं पी.आई.ए. द्वारा जलग्रहण विकास दल सदस्यों के मानदेय, जलग्रहण समिति सचिव के मानदेय एवं सामग्री आदि के पेटे भुगतान के वल अकाउंट पेई चैक के माध्यम से ही किये जाने का उल्लेख था।

कतिपय प्रकरणों में यह जानकारी में आया है कि परियोजना प्रबन्धकों के द्वारा परियोजना क्रियान्वयन ऐजेन्सी के खातों में विभागीय निर्देशों के अनुसार आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजना अंतर्गत राशि का हस्तान्तरण नहीं किया जा रहा है एवं पी.आई.ए. द्वारा किये जाने वाले खर्चों का भुगतान भी परियोजना प्रबन्धक के द्वारा ही किया जा रहा है जो कि उचित नहीं है।

अतः इस सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है:–

1. सभी परियोजना प्रबन्धक डब्ल्यू.सी.डी.सी. द्वारा पी.आई.ए. के खातों में भारत सरकार के दिशा निर्देशों एवं विभागीय निर्देशों के अनुसार पी.आई.ए. स्तर पर निर्धारित नार्मस के तहत पूर्ण राशि का तुरन्त हस्तान्तरण करते हुए बैंक पास बुक की छाया प्रति के साथ सूचना मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय को प्रेषित करेंगे।
2. पी.आई.ए. को निर्धारित सभी कार्यो का भुगतान पी.आई.ए. के स्तर पर ही किया जावे। परियोजना प्रबन्धक उक्त भुगतान अपने स्तर पर नहीं करें।
3. परियोजना प्रबन्धक डब्ल्यू.सी.डी.सी. एवं लेखाधिकारी जिला परिषद के स्तर से यह प्रमाण पत्र कि "निर्धारित नार्मस के तहत पूर्व में प्राप्त राशि का हस्तांतरण पी.आई.ए. को किया जा चुका है" प्राप्त होने के उपरान्त ही अगली किश्त की राशि एसएलएनए के स्तर से जारी की जायेगी।
4. उक्त आदेश की पुष्टि हेतु सभी परियोजना प्रबन्धक संबंधित पी.आई.ए. के बैंक पासबुक की छाया प्रति निदेशालय (लेखाशाखा) को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगें।
5. संबंधित लेखाधिकारी, जिला परिषद एवं परियोजना प्रबंधक, वाटरशैड सेल कम डाटा सेन्टर उक्त आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे एवं संलग्न प्रपत्र के अनुसार सूचना मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नः– प्रपत्र।

निदेशक

क्रमांक एफ.18(आई–6)आईडब्ल्युएमपी/निजभूस/10–11/1370-1480 दिनांक 5-1-12

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (एम.आई.ई.एस)/प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
4. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)
5. उप निदेशक आई.डब्ल्यू.एम.पी.–I,II,III,IV,V,VI,VII निदेशालय, जयपुर।
6. परियोजना अधिकारी (भू–संसाधन) मुख्यालय जयपुर।
7. समस्त परियोजना प्रबंधक वाटरशेड सैल कम डाटा सेन्टर एवं अधिशाषी अभियन्ता (भू–संसाधन) जिला परिषद को पालनार्थ।(श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)
8. लेखाधिकारी जिला परिषद समस्त को पालनार्थ।
9. परियोजना क्रियान्वयन ऐजेन्सी एवं सहायक अभियन्ता, पंचायत समिति......................
10. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभागीय वेब साईट पर अपलोड करे।

निदेशक

प्रपत्र

पी.आई.ए. को हस्तान्तरित राशि का विवरण

एस.एल.एन.ए. से प्राप्त राशि	प्राप्ती दिनांक	नार्मस के अनुसार पी. आई.ए. को हस्तान्तरित की जाने वाली राशि	पी.आई.ए. को वास्तविक हस्तान्तरित राशि	पी.आई.ए. को राशि हस्तान्तरित करने की दिनांक	डब्ल्यू.सी. डी.सी. के पास शेष जमा राशि

परियोजना प्रबन्धक
वाटरशेड सैल कम डाटा सेंटर
जिला परिषद.....................

लेखाधिकारी
जिला परिषद................